

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2017—श्रावण 6, शक 1939

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2017

क्रमांक—एफ 19-~~22~~/2017/12/1 :- खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 67 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, जिला - सागर के ब्लॉक बगरोदा एवं दुलचीपुर के 9.51 वर्गमीटर क्षेत्र को मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के पक्ष में आयरन अयस्क खनिज के सर्वेक्षण एवं पूर्वक्षण कार्य के लिए अधिसूचित करती है। क्षेत्र के ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

सारणी

बिन्दु	देशांतर	आक्षांश
1	78°56'20.23"	24°16'57.07"
2	78°56'44.23"	24°16'57.07"
3	78°56'44.73"	24°17'21.46"
4	78°56'54.49"	24°17'29.26"
5	78°57'16.68"	24°17'29.26"
6	78°58'15.26"	24°16'58.69"
7	79°00'00.00"	24°17'18.21"
8	79°00'00.00"	24°16'22.11"
9	78°56'20.23"	24°16'22.11"

- पूर्वक्षण कार्य करने के उपरांत अधिसूचित क्षेत्र में, यदि आवेदित खनिज या नवीन खनिज की उपलब्धता प्रमाणित होती है, तो मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. अनुबन्ध दिनांक 27/10/2016 के अधीन वर्णित शर्तों का पालन करेगा।
- एन.एम.डी.सी. द्वारा चाहे गए क्षेत्र में अन्वेषण कार्य हेतु संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म (डी.जी.एम.) से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाएगा। डी.जी.एम. इस विषय को राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम मण्डल (एस.जी.पी.बी.) के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगा। इसका समाशोधन होने की दशा में, एन.एम.डी.सी. द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा तथा

अनुमोदन की तारीख से 2 वर्ष के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यदि खनिज की उपस्थिति तथा उसकी मात्रा "खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015" के उपबंधों के अनुसार पाई जाती है तो आगामी 2 वर्षों की कालावधि के भीतर विस्तृत पूर्वक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

- 4 उपरोक्त क्षेत्र में यदि पूर्व से कोई खनि रियायत स्वीकृत हो, तो अधिसूचना लागू नहीं होगी।

उपरोक्त अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय तथा संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में उपलब्ध है।

No. F 19-22/2017/12-1 :- In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 67 of the Minerals (Other Than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016, the State Government, hereby, notify the area of District Sagar, Block Bagrodha and Dulchipur area of 9.51 Sq. Kms. of District Sagar in favour of M/s N.M.D.C. Limited for survey and prospecting work of iron ore mineral. Details of area and Conditions are given below:-

TABLE

Points.	Longitude	Latitude
1	78°56'20.23"	24°16'57.07"
2	78°56'44.23"	24°16'57.07"
3	78°56'44.73"	24°17'21.46"
4	78°56'54.49"	24°17'29.26"
5	78°57'16.68"	24°17'29.26"
6	78°58'15.26"	24°16'58.69"
7	79°00'00.00"	24°17'18.21"
8	79°00'00.00"	24°16'22.11"
9	78°56'20.23"	24°16'22.11"

2. In notified area after prospecting work, if the mineral applied or new minerals existence is proved then the M/s N.M.D.C. Limited shall comply with the conditions mentioned under triparty Memo of Understanding Agreement dated 27/10/2016.
3. NMDC shall apply to Director, Geology and Mining seeking permission for exploration in the interested areas. Director, Geology and Mining shall place the matter for approval before the State Geological Programming Board (SGPB). In the event of clearance of the same, the NMDC shall get the survey done and submit a Report within 2 years of the date of approval. If the presence of minerals and quantity thereof is found as per the provisions of "Minerals (Evidence of minerals Contents) Rules, 2015", a detailed prospecting report shall be furnished within a further period of 2 years.
4. The notification shall not be applicable if any mineral concession is granted in the above area.

The maps of above notified area are available in the office of the Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh, Bhopal, and concerned District Collector Office (Mining Section).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.